न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि0) प्रकरण,टोंक

पीठासीन अधिकारी : आरती माहेश्वरी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)

अन्य सेशन प्रकरण संख्या : 31/2019
C.I.S. No.- 37/2019

राजस्थान राज्य

बनाम

कैलाश पुत्र रायचंद उम्र 43 साल निवासी सोन्दीफल, थाना पीपलू, जिला टोंक
––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा : 341, 323, 504, 354 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा 3(1)(r)(s), 2(1)(w)(1)(ii), 3(2)(va) SC/ST Act

उपस्थितः–

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

श्री शिवराज चांगल, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त

।। नि र्ण य ।। दिनांक : 06.07.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिया लाडा देवी ने एक टाइपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना पीपलू में इन तथ्यों सहित पेश की कि दिनांक 078.02.2019 को सुबह के समय अपने कुएं पर बकरियों को लेकर जा रही थी तो बीच रास्ते में अप्रार्थी कैलाश बिना कोई कारण बताए प्रार्थीया के साथ धक्का–मुक्की की तथा प्रार्थिया के साथ दुर्व्यवहार किया तथा लज्जाभंग की। प्रार्थीया के सिर से लूगड़ी को उतार दिया तथा मारपीट व गालीगलौच की तथा दुबारा इस रास्ते पर से आने पर जान से मारने की धमकियां दी तथा धक्का–मुक्की से प्रार्थिया नीचे गिर गई जिससे प्रार्थीया के पैर में चोट के निशान आए हैं। शोर–शराबा सुनकर प्रार्थीया का देवर हीरालाल आया व बीचबचाव करके उक्त व्यक्ति से छुड़ाया। अगर समय पर हीरालाल नहीं आता तो प्रार्थीया के साथ अनहोनी घटना हो सकती थी आदि–आदि।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना पीपलू में प्रकरण संख्या 49/2019 जुर्म धारा 341, 323, 504, 354 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(2)(va),

3(1)(w)(i)(ii) SC/ST Act में मामला पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 354 भा0द0सं0 व धारा 3(1)(r)(s), 3(1)(w)(i)(ii), 3(2)(va) SC/ST Act में आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 354 भा0द0सं0 व धारा 3(1)(r)(s), 3(1)(w)(i)(ii), 3(2)(va) SC/ST Act में पृथक से आरोप विरचित कर सुनाये समझाये गये। सुन समझ कर अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले की पुष्टि में निम्न गवाहान को मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया :-

क्र. सं.	नाम गवाह	पी.डब्ल्यू
1	लाडा देवी	पी.डब्ल्यू 1
2	हीरालाल	पी.डब्ल्यू 2
3	लाली	पी.डब्ल्यू 3
4	गोपाल	पी.डब्ल्यू 4
5	राजेश वर्मा	पीडब्ल्यू 5
6	डॉ0 आसिफ हुसैन	पीडब्ल्यू 6

5. दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए :-

क्र. सं.	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी 1
2	चाक एफआइआर	प्रदर्श पी 2
3	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 3
4	चोट प्रतिवेदन	प्रदर्श पी 4
5	बयान 164 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 5
6	जाति प्रमाण-पत्र	प्रदर्श पी 6
7	नोटिस धारा 41क सीआरपीसी	प्रदर्श पी 7 व 8

6. अभियुक्त को धारा 313 जाप्ता फौजदारी के तहत परीक्षित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा में

कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. **प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि :-**

''आया अभियुक्त ने दिनांक 07.02.2019 को सुबह के समय ग्राम सोंदीकला में परिवादिया लाडा देवी को सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ स्वेच्छया मारपीट कर उसे साधारण उपहतियां कारित कीं, लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से उसके साथ गालीगलौच कर उसे अपमानित किया, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा जनदृष्टिगोचर स्थान पर उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर साशय अपमानित किया तथा उक्त कृत्य इस आशय से किया कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है?

-यदि हां तो अभियुक्त का उचित दण्ड क्या होगा?

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रकट किया कि दोनों पक्षों के मध्य परिवादिया की बकरियां अभियुक्त के आदोली के खेत में चले जाने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। अभियुक्त ने किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है, न ही आपराधिक बल का प्रयोग कर लज्जा भंग की है, न ही गालीगलौच की, न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध इस आशय से नहीं किया गया है कि परिवादिया अनुसूचित जाति की महिला है। उनका यह भी तर्क रहा है कि घटना का कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी पेश नहीं हुआ है। सभी चक्षुदर्शी साक्षी परिवादिया के परिजन होकर हितबद्ध गवाहान हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया जिसका विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में हस्तगत प्रकरण की पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 6 गवाहान को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है जिनमें परिवादिया **लाडा देवी, जो कि पी.ड.1** के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुई है, ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना के संबंध में

कथन किया है कि आज से लगभग सात महीने पहले सुबह के 10–11 बजे का समय था। उस समय मैं कुए पर बकरिया लेकर जा रही थी। फिर मेरे साथ कैलाश ने धक्का मुक्की की जिससे मेरे गोडो में चोटे आई और मेरी लुगंडी के खींच दिया और कहा कि दुबारा आई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा फिर आवाज सुनकर मेरा देवर हीरालाल व देवरानी लाली मौके पर आये और हमारा बीच–बचाव कराया। घटना की रिपोर्ट मैंनें थाना पीपलू में दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी–1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2, नक्शा मौका प्रदर्श पी–3, मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–4, 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी–5, जाति प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–6 है। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **रामरतन के खेत में कैलाश ने आदोली में ले रखा है। उस खेत में कैलाश ने सरसों की फसल बो रखी थी। मैं घटना वाले दिन बकरियां लेकर गई थी। यह गलत है कि मेरी बकरियां सरसों के खेत में चली गई हों अजखुद कहा कि खेत तक तो मैं पहुंची ही नहीं थी।** आगे गवाह ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि **मेरी बकरियां कैलाश के सरसों के खेत में घुस गई हों और नुकसान कर गई हों जिसका ओलमा मुझे कैलाश ने दिया हो। इस पर मैंने उसके साथ गालीगलौच की हो और उसके साथ लड़ाई–झगड़ा करने के लिए तैयार हो गई हो।** गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **घटना के समय मेरी लूगड़ी फट गई थी जिसको मैंने पुलिस को बता दी थी परंतु वो लेकर नहीं गए थे।**

12. अभियोजन साक्षी **पी.ड.2 हीरालाल,** जिसका घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होकर अभियुक्त व परिवादिया का बीचबचाव कराना बताया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि आज से दो साल पहले सुबह के साढ़े दस–ग्यारह बजे का समय था। फरवरी माह का महीना था। मैं मेरे खेत पर था। मेरी भाभी लाडा देवी बकरियों को लेकर खेत पर चराने जा रही थी, तभी कैलाश जाट आया और मेरी भाभी के साथ गाली–गलौच की तथा धक्का–मुक्की की जिससे वो चिल्लाने लगी फिर मैं आवाज सुनकर मौके पर आया। मैंनें देखा कि कैलाश गाली–गलौच कर रहा था फिर मैंनें दोनों को समझा कर वहां से भेज दिया। फिर घटना के दूसरे दिन पुलिस मौके पर आई थी और घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–3 है। लाडा देवी के पैर पर चोट आई थी। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि **मेरी भाभी की बकरियां कैलाश के खेत में चली गई हों और सरसों की फसल में नुकसान हो गया हो और इस बाबत**

कैलाश ने मेरी भाभी को ओलमा दिया हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **मेरे सामने झगड़ा नहीं हुआ था केवल कहासुनी हुई थी।**

13. अभियोजन साक्षी **पी.ड.3 लाली** ने अभिसाक्ष्य दी है कि आज से दो–ढाई साल पहले सुबह 10–11 बजे मैं अपने घर पर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय कैलाश उधर से जा रहा था। उसी समय मेरी जेठानी लाड देवी अपनी बकरियों को चराने जा रही थी। कैलाश मेरी जेठानी को ढेढनी, चमारनी कहने लगा तो उनकी आवाज सुनकर मैं वहां गई। फिर वह मेरी जेठानी के साथ धक्का–मुक्की करने लगा, उसके सिर से लूगड़ी उतर गई। मैं छुड़ाने लगी तो नहीं छूटा। मेरी जेठानी गिर गई। हो–हल्ला सुनकर मेरा पति घटनास्थल पर आया और बीचबचाव कराया। कैलाश ने कहा कि इस रास्ते पर दुबारा मत आता। अगर आई तो हाथ–पांव तोड़ दूंगा। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **मेरी जेठानी की बकरियां उसके खेत में चली गई। बद्री जाट के खेत के सामने कोई घटना नहीं हुई। मेरी जेठानी बाड़ में गिरने से कांटे चुभ गए थे और खून भी आ गया था। मेरी जेठानी का कोई कपड़ा नहीं फटा था, केवल लूगड़ी उतर गई थी।**

14. अभियोजन साक्षी **पी.ड.4 गोपाल** ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 07.02.2019 को मैं मौके पर नहीं था, रिश्तेदारी में गया हुआ था। वापस आने पर मेरी घरवाली लाड़ा देवी ने बताया कि मैं रास्ते में बकरियां लेकर जा रही थी। रास्ते में कैलाश मिला और मेरे साथ गालीगलौच व धक्का–मुक्की की। कैलाश ने मेरी पत्नी को कहा कि दुबारा इस रास्ते में आई तो हाथ–पांव तोड़ दूंगा। उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पीपलू गया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चाक एफआइआर प्रदर्श पी–2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर मेरे हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **प्रदर्श पी–1 रिपोर्ट में जिस घटना का उल्लेख है वह घटना मेरे सामने नहीं हुई।**

15. अभियोजन साक्षी **पी.ड.6 डॉक्टर आसिफ हुसैन** ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 07.02.2019 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपलू में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना पीपलू की तहरीर पर आहता लाडा देवी की चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसके बायें घुटने पर खरोंच का निशान था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 है।

16. गवाह **पी.ड.5 राजेश वर्मा प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है** जिसने

अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 07.02.2019 को मैं सीओ निवाई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 49/19 थाना पीपलू की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई जिस पर नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया। गवाहान गोपाल, हीरालाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। गवाह लाडा देवी के कथन मेरे निर्देशानुसार महिला कांस्टेबल सीमा के द्वारा लेखबद्ध किए गए। परिवादिया के धारा 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी–5 लेखबद्ध करवाए, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4, जाति प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–6, धारा 41क का नोटिस प्रदर्श पी–7, चैक लिस्ट प्रदर्श पी–8, एफआईआर प्रदर्श पी–1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है। बाद अनुसंधान एसएचओ ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटनास्थल के आसपास बद्री, लक्ष्मण, श्योजी के खेत व बाड़े हैं। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि **परिवादिया की बकरियां कैलाश के आधोली के खेत में चली गई हों जिसका कैलाश ने ओलमा दिया हो।**

17. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन व विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण परिवादिया लाडा देवी द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर दर्ज किया गया है जिसे अभियोजन पक्ष की ओर से पी.ड.1 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। उक्त गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 की पूर्णतः पुष्टि करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा गवाह के साथ धक्का–मुक्की करने जिससे उसके चोटें आने, लूगड़ी खींच देने, आवाज सुनकर देवर हीरालाल व देवरानी लाली का मौके पर आकर बीचबचाव कराने के कथन किए हैं। उक्त गवाह के कथनों की पुष्टि घटना के चक्षुदर्शी बताए गए अभियोजन साक्षी पी.ड.2 हीरालाल व पी.ड.3 लाली ने भी अपने–अपने न्यायालय बयानों में की है। उक्त तीनों साक्षीगण की अभिसाक्ष्य से घटना की दिनांक को अभियुक्त द्वारा परिवादिया श्रीमती लाडा देवी को जाती हुई को रोककर, उसके साथ स्वेच्छया धक्का–मुक्की व गालीगलौच करने जिससे परिवादिया के शरीर पर चोटें आने के आरोपों की पुष्टि होती है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक साक्ष्य की अभिपुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य में प्रस्तुत गवाह पी.ड.6 डॉ0 आसिफ हुसैन की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 से भी होती है जिसके अनुसार परिवादिया के बायें घुटने पर

खरोंच का निशान पाया गया है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 341, 323, 504 भारतीय दंड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना पाया जाता है।

18. जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 354 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(w)(i)(ii) SC/ST Act का प्रश्न है, यद्यपि परिवादिया पी.ड.1 लाडा देवी व पी.ड.2 हीरालाल ने परिवादिया की बकरियां अभियुक्त के आदोली के खेत में घुस जाने की बात को लेकर कहासुनी होने के तथ्य को अस्वीकार किया है किंतु घटना की अन्य चक्षुदर्शी साक्षिया पी.ड.3 लाली ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि परिवादिया की बकरियां अभियुक्त के खेत में घुस गई थीं जिससे यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य कहासुनी व धक्का–मुक्की की घटना परिवादिया की बकरियों के अभियुक्त के आदोली पर लिए गए सरसों के खेत में घुस जाने की बात को लेकर हुई है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भारतीय दंड संहिता का आरोप है जिस संबंध में परिवादिया ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में अभियुक्त द्वारा धक्का–मुक्की कर उसकी लज्जा भंग कर सिर पर से लूगड़ी उतारने का कथन किया है जबकि अपने 161 सीआरपीसी के कथनों में परिवादिया ने कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा धक्का–मुक्की करने पर उसके कपड़े अस्त–व्यस्त हो जाने से लूगड़ी उतर गई तथा धारा 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी–5 में कथन किया है कि मुझे धक्का मारा जिससे मैं नीचे गिर गई और मेरी लूगड़ी सिर से उतर गई तथा न्यायालय बयानों में कथन किया है कि धक्का–मुक्की की और अभियुक्त ने उसकी लूगड़ी को खींच लिया जिससे उसकी लज्जा भंग हुई। इस प्रकार परिवादिया द्वारा लूगड़ी उतरने के संबंध में भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न कथन किए हैं और कथनों के समग्र विश्लेषण से प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ धक्का–मुक्की की गई जिससे वह नीचे गिर गई और उसकी लूगड़ी उतर गई। अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ उसके अनुसूचित जाति की महिला होने के आधार पर अथवा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग कर उसकी लज्जा भंग किए जाने के अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया ने अपनी लूगड़ी फट जाने की अभिसाक्ष्य दी है जबकि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान के दौरान परिवादिया की कोई लूगड़ी बरामद नहीं की गई है जो परिवादिया की इस संबंध में दी

गई अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बना देता है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 354 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(w)(i)(ii) SC/ST Act युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाए जाते हैं।

19. जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act के अपराध का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत ***Dashrath Sahu Vs. State of Chhatishgarh Date of Judgdment 29 January, 2024*** वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि :

> ***"The essence of Section 3 SC/ST Act is pari materia as the same also provides that the offence must be committed upon a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes with the intention that is was being done on the ground of caste."***

20. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में यदि हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर विचार करें तो प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण की परिवादिया ने अपने न्यायालय बयानों के मुख्य परीक्षण में कहीं भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अथवा गालीगलौच कर उसे साशय अपमानित किया गया हो, न ही घटना की चक्षुदर्शी साक्षिया पी.ड.3 लाली ने इस बाबत कोई अभिसाक्ष्य दी है। केवल मात्र पी.ड.2 हीरालाल ने अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ गालीगलौच करने की अभिसाक्ष्य दी है किंतु स्वयं परिवादिया ने इस बाबत कोई अभिसाक्ष्य नहीं दी है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के मध्य उक्त घटना परिवादिया की बकरियां अभियुक्त के सरसों के खेत में घुस जाने की बात को लेकर होना प्रमाणित हुआ है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा उक्त घटना परिवादिया के अनुसूचित जाति की महिला होने के आधार पर नहीं की गई है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाए जाते हैं।

21. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 354 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है तथा

अपराध धारा 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक

22. सजा के बिन्दु पर सुना गया।

23. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, वह आदतन अपराधी नहीं है। उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। उसने वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगती है। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

24. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

25. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया।

26. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण वर्ष 2019 से लंबित होकर अभियुक्त ने लगभग 7 वर्ष प्रकरण में अन्वीक्षा भोगी है। उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त ने आयन्दा अपराध की पुनरावृत्ति न करने का भी कथन किया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये हमारे विनम्र मत में अभियुक्त को तुरंत दण्ड से दण्डित करने की बजाय परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

27. अतः अभियुक्त **कैलाश** को अपराध धारा 354 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा अपराध धारा 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाकर उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये शान्ति सदाचार बनाये रखने, अपराध की पुनरावृति नहीं करने, न्यायालय तलबी पर उपस्थित होकर दण्ड भोगने के लिये तैयार रहने की शर्त के साथ 20,000/- रूपये का स्वयं का मुचलका एवं इसी कदर राशि की जमानत पेश करने पर परिवीक्षा पर रिहा किया जाने का आदेश दिया जाता है। परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर बतौर अभियोजन खर्च 5,000/- रूपये अधिरोपित किये जाते हैं। अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के तहत, उपरोक्त की गई दोषसिद्धि से निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा। प्रकरण में जब्तशुदा माल, यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे।

अपील होने की अवस्था में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे। अपील की अपेक्षा के अध्याधीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु अभियुक्तगण में से प्रत्येक राशि 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(आरती माहेश्वरी)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक

निर्णय आज दिनांक 06.07.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक